

कार्यालय उप तहसील लाखेरी

क्रमांक: मु.असि/2026/259

प्रोचित:

2026/3/26

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27-3-26	<p>पञ्जावली पेश दुहा नागव तहसील 112 कचोकी          द्वारा उनवानी प्रकटा क्रमांक 1 रिपोर्ट पेश          कि रिपोर्ट में कथन किया गया है कि          वाड वार्षित आराजी के वाजसब रिपोर्ट में          पाली व पालीवाडी का नाम दर्ज रिपोर्ट          नहीं है नई जमाबंदी बखर 2074-2077          पेश की है मुताबिक जमाबंदी के बाद          का निर्णय दिनांक 7-1-2024 में वाडवाडी          का नाम बजरगलाल पुत्र कुमलया दर्ज          रिपोर्ट था वर्तमान जमाबंदी में संजू कुमारी          पाली प्रमलाल दर्ज रिपोर्ट वर्तमान बखर          में एक नाम दर्ज होने से बयवाय          किये जाने की आवश्यकता ही नहीं          है उपरोक्त राजसब रिपोर्ट के          मुताबिक पूर्व खातेदाये वाय खिवाडी          आराजी का खिवाय किया जाया स्थिति          है अब वाड पत्र को शही स्तर          पर खारिज किया जाता है पञ्जावली          फौजल मुसाट के वाड तहसील 112          पत्र को</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बुन्दी)</p>